>

Title: Reported clinical trials on labourers in Faridabad, Haryana.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सर, मैं आपका ध्यान क्लीनिकल रिसर्च के नाम पर भारतीय नागरिकों को गिनी-पिग के रूप में इस्तेमाल किये जाने के बारे में उठाना चाहता हूं। अभी फोर्टिज अस्पताल में रिसर्च के नाम पर मजदूरों पर ट्रायल किये गये, जिसमें किसी भी दवा का कोई साइड-इफैक्ट उन्हें नहीं बताया गया। जिस कंसेंट फार्म पर मजदूरों से दस्तखत कराए गये, उस कंसेंट फार्म की कोई समझ मजदूरों को नहीं थी। आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में 10 से 14 साल की लड़कियों को एक एनजीओ पास के द्वारा कैंसनोमो सर्विस की वैक्सीन दी गयी और यह आईसीएमआर की कंसेंट से दी गयी। लेकिन वैक्सीन के लिए कंसेंट फार्म पर न उन बच्चियों से हस्ताक्षर कराए गये न ही उनके माता-पिता से हस्ताक्षर कराए गये, बल्कि आदिवासी हॉस्टल की वार्डन से सिग्नेचर कराए गये और उन्हें बताया भी नहीं गया कि क्या कंसेंट फार्म में है। इसके अलावा पिछले एक साल में क्लीनिकल ट्रायल्स के नाम पर ड्रग्स-रिसर्च के नाम पर 670 लोगों की हत्या की जा चुकी है।

विदेशी कंपनियां अमरीका-यूरोप में आर एंड डी का काम करती हैं, वहां पर लोगों को नौकरियां देती हैं और जब ह्यूमन ट्रायल की बात आती है तो वे कंपनियां इंडिया में आकर उसे करती हैं। जिसके कारण फोर्टिज या इस तरह के अस्पताल जो लाखों रुपया कमाते हैं उनमें इंडियन्स गिनी-पिग की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर किसी आदमी की मौत हो जाती है तो उसे कम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता है। उससे भी बड़ी बात है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ क्लीनिकल रिसर्च जिसे कंम्पनसेशन की पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया है, उसमें 17 फार्मा कंपनियों के मैम्बर्स हैं। मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि उन्हीं दवाइयों का ट्रायल इंडिया में करने दिया जाए जिनकी आर एंड डी लैब इंडिया में हैं, जिससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में रिसर्च कर सकें।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्वायंट है। ड्रग ट्रायल के नाम पर इंडियन्स को गिनि पिग के रूप में यूज किया जाता है, इस खेल को बंद किया जाए।

MR. CHAIRMAN : Dr. Kirit Premjibhai Solanki associated himself with the matter raised by Dr. Sanjay Jaiswal.

Mr. Ganeshamurthi to speak. Please do not raise the matter relating to Mullaperiyar dam as it is a *sub judice* matter.